



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012022-232493
CG-DL-E-07012022-232493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2022/पौष 17, 1943

No. 87]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2022/PAUSHA 17, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

(आय-कर)

का.आ. 90(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. सं 5429, तारीख 28 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ सं 18, पैरा 10 में, खंड (i) को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा, अर्थात्,—

“पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड (x) के अधीन या पैरा 6 के उप-पैरा (5) के अधीन या पैरा 7 के उप-पैरा (8) के अधीन पारित आदेश के मामले में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा डीजीटल हस्ताक्षर करके;”

[अधिसूचना सं. 2/2022/ फा.सं. 370142/66/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव